न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—306 / 2022
दाउदनगर थाना कांड संख्या :—155 / 2022

20.04.2022 काराधीन अभियुक्त रामप्रवेश चौधरी की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदक को जमीनी विवाद को लेकर उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है । आवेदक के विरूद्ध दर्ज धाराओं में धारा 307 एवं 354 भा0द0सं0 को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक दिनांक—10.04.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 354 एवं 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक—25.03.2022 को सूचिका समय लगभग चार बजे दिन में दाउदनगर से अपने घर लिला विगहा जा रही थी कि उपरोक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्तगण सूचिका के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर छेड.खानी करने लगे । सूचिका ने इसकी सूचना अपने माता—पिता को दी । जब सूचिका के माता—पिता उपरोक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्तगण से पूछताछ करने गये तो सभी अभिुक्तगण सूचिका, सूचिका के माँ एवं पिता को लाठी, डंडा एवं रड्ड से काफी मारपीट किये, जिसमें सूचिका एवं उसके पिता का सिर फट गया है । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । प्राथमिकी से यह स्पष्टतः दर्शित होता है कि उक्त वाद के सूचिका एवं उसके पिता का जख्म सिर पर है यानी जख्म शरीर के Vital Part पर है । प्राथमिकी से यह भी दर्शित होता है कि जख्मी को बेहतर चिकित्सीय ईलाज हेतु स्थानांतरित किया गया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । धारा 307 भा0दं0सं0 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ तथा आरोपित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।